राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड

संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया

दिनांक: 12-08-2025

स्थान– प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 92वीं त्रैमासिक बैठक की कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 92वीं त्रैमासिक बैठक दिनांक 12 अगस्त, 2025 को प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय से कार्यपालक निदेशक श्री पी. आर. राजगोपाल ने की। बैठक में झारखंड सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर मुख्य अतिथि के रूप में तथा माननीय कृषि मंत्री श्रीमति शिल्पी नेहा तिर्की विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। बैठक में निम्नलिखित वरिष्ठ अधिकारीगण की उपस्थिति उल्लेखनीय रहे:

- श्री संदीप सिंह, भा॰प्र॰से, विशेष सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार
- अनन्या मित्तल, भा॰प्र॰से, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, JSLPS, झारखंड सरकार
- श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची
- श्री गौतम कुमार सिंह, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय
- श्री अशोक कुमार पाठक, मुख्य महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ इंडिया
- श्री गुरु प्रसाद गोंड, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया एवं संयोजक, एस.एल.बी.सी., झारखंड
- श्रीमती अनामिका शर्मा, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय
- श्रीमती बिमला भगत, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय
- श्री संतोष कुमार सिन्हा, उप महाप्रबंधक, एस.एल.बी.सी., झारखंड
- श्री सी॰एच गोपाला कृष्णा, उप महाप्रबंधक, एस.एल.बी.सी., झारखंड

इसके अतिरिक्त, सभी बैंकों के राज्य प्रमुख, सभी जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक, तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारीगण भी इस बैठक में उपस्थित रहे।

बैठक का विधिवत शुभारंभ मंचासीन विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके उपरांत झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 92वीं पुस्तिका का लोकार्पण सम्मानित अतिथियों द्वारा किया गया।
बैठक में क्रमशः सभा अध्यक्ष की अनुमति से विभिन्न मंचासीन गणमान्यों को सभा सम्बोधन हेतु आमंत्रित किया गया, जिनके अभिभाषण के मुख्य बिन्दु निम्नतः रहे-

क) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक श्री गुरु प्रसाद गोंड का सम्बोधन-

सर्वप्रथम, महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने माननीय वित्त एवं कृषि मंत्री, झारखण्ड सरकार; सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों; अग्रणी जिला प्रबंधकों; तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का राज्य में बैंकिंग गतिविधियों को निरंतर गति प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य द्वारा प्राप्त कुछ प्रमुख उपलब्धियों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया।

❖ 92वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में सभी हितधारकों का स्वागत करते हुए श्री गुरु प्रसाद गोंड ने कहा कि यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि एस.एल.बी.सी. झारखंड को Citizen Choice Campaign (H1PI) के अंतर्गत Medium Category में "Award of Excellence" से सम्मानित किया गया है। उन्होने कहा कि यह उपलब्धि राज्य के सभी बैंकों, फील्ड स्टाफ, जिला स्तरीय अधिकारियों तथा हमारे समर्पित एल.डी.एम. साथियों की निरंतर मेहनत, प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट कार्यप्रणाली का परिणाम है।

उन्होंने आगे बताया कि उन्हें यह बताते हुए भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि एस.एल.बी.सी. झारखंड ने H1PI अभियान के अंतर्गत 157.05% लक्ष्य प्राप्ति दर्ज की है जो उपलब्धि किसी एक संस्था की नहीं, बल्कि पूरे बैंकिंग नेटवर्क के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। विशेष रूप से उन्होने उल्लेख किया कि झारखंड के 24 जिलों में से—

- 07 अग्रणी जिला प्रबंधकों (LDMs) को Award of Excellence, तथा
- 14 LDMs को Certificate of Excellence से सम्मानित किया गया है।

महाप्रबंधक, एस.एल.बी.सी. ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों, अग्रणी जिला प्रबंधकों एवं उनकी टीमों को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि आप सभी ने इस अभियान में जिस उत्साह, समर्पण और समन्वय का परिचय दिया है, वह न केवल सराहनीय है, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय उदाहरण है। उन्होंने सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वे इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए रखें, ताकि भविष्य में भी झारखंड राज्य इस योजना के अंतर्गत अग्रणी स्थान प्राप्त करता रहे और उच्च दर्जा हासिल करता रहे।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक)

❖ श्री गोंड ने सदन को अवगत कराया कि बैंकों की भूमिका केवल वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे आर्थिक समावेशन को जमीनी स्तर तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम भी हैं। इसी क्रम में, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार ***01 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025*** तक पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर एक व्यापक Financial Inclusion Saturation अभियान संचालित किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत बैंकों को शिविर लगाकर ग्रामीणजनों को ***PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, Re-KYC, nomination, साइबर सुरक्षा व डिजिटल उत्पादों के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया।***

उन्होंने आगे बताया कि एस.एल.बी.सी. की ओर से बैंकों और एल.डी.एम. को निर्धारित शिविरों से पूर्व 7 दिवसीय कार्यक्रम उपलब्ध कराया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों को शिविर के प्रति जागरूक करना है। इस पहल के पश्चात प्राप्त प्रगति अब तक संतोषजनक प्रतीत हो रही है।

उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक एवं उनकी टीम को चल रहे तीन माह के संतृप्ति अभियान के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य को प्रदान किए जा रहे उनके निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया।

उन्होंने सभी बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों से आग्रह किया कि वे 30 सितम्बर तक निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) के अनुरूप सभी ग्राम पंचायतों को विभिन्न योजनाओं से पूर्णतः सैचुरेट करें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक)

❖ श्री गोंड ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ 5,000 से अधिक जनसंख्या है और 5 किलोमीटर की परिधि में कोई बैंकिंग शाखा उपलब्ध नहीं है, वहाँ नई बैंक शाखाएँ खोलने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को बुनियादी बैंकिंग सेवाओं की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

इस संबंध में उन्होंने सदन को अवगत कराया कि वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार द्वारा झारखंड राज्य में ऐसे 29 स्थानों की पहचान की गई है, जहाँ जनसंख्या 5,000 से अधिक है, किन्तु 5 किलोमीटर की परिधि में कोई ब्रिक एंड मॉर्टार बैंक शाखा उपलब्ध नहीं है तथा इनमें से 08 स्थानों पर शाखाएँ पहले से ही विद्यमान पाई गई हैं, जिनका सत्यापन बैंकों और एलडीएम द्वारा कर लिया गया है, शेष 21 स्थानों को विभिन्न बैंकों को नई शाखाएँ खोलने हेतु आवंटित किया गया है। उन्होने कहा कि यह पहल राज्य के ग्रामीण अंचलों में बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सुलभ एवं सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।

एस.एल.बी.सी. के महाप्रबंधक ने सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे अपने आवंटित स्थानों को प्राथमिकता देते हुए 31 अगस्त 2025 तक ब्रिक एंड मॉर्टार शाखाएँ खोलने का हर संभव प्रयास करें।

(एक्शन- समस्त आवंटित बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक)

- महाप्रबंधक एसएलबीसी ने बताया कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड ऋण स्वीकृति हेतु एक अत्यंत उत्कृष्ट और आधुनिक पोर्टल विकसित किया गया है जो उन सभी किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा, जो अभी तक KCC लाभ से वंचित रह गए थे।

  उन्होने कहा कि यह पोर्टल न केवल किसानों को डिजिटल माध्यम से आवेदन करने की सुविधा देगा, बल्कि इससे बैंकों के लिए भी ऋण स्वीकृति, वितरण और लंबित मामलों की रियल टाइम निगरानी संभव हो सकेगी जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा वितरण की गति में अभूतपूर्व सुधार होगा।

  इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए, उन्होने SLBC और समस्त हितधारकों की ओर से झारखंड सरकार को हार्दिक धन्यवाद दिया और कहा कि हम सभी का विश्वास है कि इस पहल से राज्य के किसानों की वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति होगी।

  (एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री गोंद ने कहा कि यह मंच राज्य में वित्तीय समावेशन एवं कृषि ऋण वितरण को सशक्त करने की दिशा में एक प्रभावशाली प्रयास है। किसानों की आर्थिक समृद्धि और उन्हें सुलभ ऋण सुविधा उपलब्ध कराना हम सभी की प्राथमिकता है।

  इसी क्रम में, उन्होने बताया कि वर्तमान में झारखंड राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ₹1 लाख तक के ऋण के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC) की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ₹1 लाख से ऊपर और ₹1.60 लाख तक के ऋण के लिए LPC अनिवार्य है।

  उन्होने आगे कहा कि हम सभी जानते हैं कि राज्य में बड़ी संख्या में छोटे एवं सीमांत किसान हैं, जिनके पास भूमि के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज़ पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हैं, जबकि वे वास्तव में खेती कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें LPC के कारण ऋण लेने में बाधा उत्पन्न होती है।

  इसी क्रम में श्री गोंद ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि बिना LPC के किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख किया जाए, ताकि अधिकाधिक किसानों को लाभ मिल सके और कृषि ऋण वितरण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

  (एक्शन- राज्य सरकार)

अपने अभिभाषण के अंत में महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने **RBI,** राज्य सरकार, **NABARD** को उचित मार्गदर्शन एवं अन्य हितधारकों को परस्पर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और यह आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में एस.एल.बी.सी के सभी हितधारक अपनी भूमिका को उचित तथा प्रभावी ढंग से निष्पादित करने मे अहम भूमिका अदा करेंगे।

ख)<u>व्यवसायिक सत्र</u>

व्यावसायिक सत्र का संचालन राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के वरिष्ठ प्रबंधक श्री रौशन चौधरी द्वारा किया गया। इस सत्र के दौरान सभा अध्यक्ष श्री पी. आर. राजगोपाल तथा अन्य गणमान्य अतिथियों की सहभागिता में श्री चौधरी ने सभी बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों की समीक्षा की। सत्र के दौरान चर्चा में आए कुछ प्रमुख बिंदु एवं महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नलिखित रहे::

- 91वीं एस.एल.बी.सी. बैठक में उठाए गए मुद्दों का उल्लेख करते हुए श्री रोशन चौधरी ने पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत लंबित सब्सिडी वितरण का विषय रखा। उन्होंने बताया कि मार्च 2025 की तिमाही में केवीआईसी द्वारा लगभग ₹36 करोड़ की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है, जबकि शेष लगभग ₹11 करोड़ की सब्सिडी अब भी लंबित है, जिसके शीघ्र निर्गमन का अनुरोध किया गया है।

  केवीआईसी के निदेशक ने सदन को अवगत कराया कि वित्त वर्ष 2025-26 में हाल ही में ₹10.22 करोड़ की सब्सिडी जारी की गई है। उन्होंने आगे कहा कि चूँकि यह एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए विभाग शेष लंबित सब्सिडी को भी शीघ्र जारी करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

  (एक्शन- KVIC)

- 91वीं एस.एल.बी.सी. बैठक के कार्य-बिंदुओं पर चर्चा करते हुए श्री रोशन चौधरी ने सदन को अवगत कराया कि पिछली बैठक में यह बताया गया था कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है तथा कुछ बैंकों के पीएमजेडीवाई खातों में गिरावट दर्ज की गई है। इन बैंकों में इंडसइंड बैंक, J&K बैंक, करूर वैश्य बैंक और जना एसएफबी शामिल हैं।

  इस संदर्भ में बैठक में सुझाव दिया गया था कि एस.एल.बी.सी. संबंधित बैंकों के मुख्यालयों को इस विषय पर पत्र लिखे। इस पर एस.एल.बी.सी. के वरिष्ठ प्रबंधक ने सदन को सूचित किया कि उपरोक्त बैंकों के मुख्यालयों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है।

  इंडसइंड बैंक के प्रतिनिधि ने सदन को अवगत कराया कि इस विषय पर उनके कॉर्पोरेट कार्यालय से चर्चा की गई है तथा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी तिमाही से इस संबंध में सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी।

  इस पर भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने बैंक को सुझाव दिया कि योजनाओं में सुधार लाने हेतु ठोस रणनीतियाँ तैयार कर उन्हें प्रभावी रूप से लागू किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु एक अलग उप-समिति बैठक भी आयोजित की जाती है जहाँ बैंको के प्रगति की समीक्षा की जाती है। उन्होने इस संदर्भ में निजी क्षेत्र के बैंकों को सक्रिय रूप से भाग लेने की सलाह दी। साथ ही, उन्होंने एसएलबीसी को निर्देश दिया कि यदि निजी क्षेत्र के बैंक अपेक्षित प्रगति नहीं करते हैं, तो पुनः उनके मुख्यालयों को पत्र लिखकर अवगत कराया जाए तथा उसकी प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय को भी प्रेषित की जाए।

  माननीय वित्त मंत्री ने बैंकों के जवाब पर नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बैंकों को केवल राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में समीक्षा का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं पहल करते हुए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही, उन्होंने निर्देश दिया कि बैंकों को प्रत्येक बैठक में वर्षभर के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए।

  (एक्शन- एसएलबीसी, निजी क्षेत्र के बैंक और इंडसइंड बैंक)

- पिछली एस.एल.बी.सी. बैठक में माननीय कृषि मंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दे का उल्लेख करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि माननीय कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेज़ों पर चिंता व्यक्त की थी।

  इस पर कृषि मंत्री ने यह जानना चाहा कि अब तक बैंकों को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा उनमें से कितने ऋण स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एस.एल.बी.सी. के समक्ष केवल स्वीकृत एवं वितरित ऋणों का ही डेटा उपलब्ध है, जबकि आवेदनों की संख्या की जानकारी भी आवश्यक है।

  अतः मंत्री महोदया ने सुझाव दिया कि एस.एल.बी.सी. अगली बैठक में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा स्वीकृत एवं वितरित ऋणों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करे।

  JSLPS के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अनन्य मित्तल ने सदन को अवगत कराया कि मुद्रा ऋण वितरण का लक्ष्य 1 लाख निर्धारित किया गया है, जबकि वर्तमान में बैंकों के पास लगभग 13,000 आवेदन लंबित हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मुद्रा ऋण आवेदनों की व्यक्तिगत स्वीकृति की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

  (एक्शन- एसएलबीसी एवं समस्त बैंक)

- श्री रोशन चौधरी ने सदन को अवगत कराया कि पिछली एसएलबीसी बैठक में माननीय वित्त मंत्री ने 88वीं एसएलबीसी बैठक के संबंध में राज्य द्वारा की गई प्रगति की जानकारी प्रस्तुत करने का सुझाव दिया था। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि 88वीं एसएलबीसी बैठक में 12 बैंक एवं 11 ज़िलों का ऋण-जमा अनुपात 40% से कम था, जबकि जून 2025 की तिमाही तक यह घटकर 9 बैंक एवं 6 ज़िले रह गए हैं।

  सदन को अवगत कराया गया कि वर्तमान में निम्नलिखित बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 40% से कम है: ***आईओबी (38.14%), पीएनबी (36.13%), आईडीबीआई (36.58%), यूसीओ (36.06%), पीएसबी (30.63%), जेएएनए एसएफबी (26.59%), डीसीसीबी (12.46%), एयू एसएफबी (11.31%) तथा एसआईबी (6.90%)***।

  माननीय वित्त मंत्री ने इन बैंकों के प्रतिनिधियों से स्पष्टीकरण मांगा। इस संदर्भ में, आईओबी के राज्य प्रमुख ने बताया कि बैंक ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने अवगत कराया कि जहाँ छह महीने पूर्व बैंक का ऋण-जमा अनुपात लगभग 30% था, वहीं अब यह बढ़कर 38% हो गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि यह अनुपात अभी भी अपेक्षाकृत कम है, किंतु आश्वासन दिया कि राज्य की 44 शाखाओं (जिनमें 50% ग्रामीण तथा शेष अर्ध-शहरी/शहरी क्षेत्र में हैं) के माध्यम से ऋण प्रवाह बढ़ाकर 50% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्र में बैंक का प्रदर्शन अन्य बैंकों की तुलना में कम है, तथापि इस दिशा में सुधार हेतु ठोस प्रयास जारी हैं। राज्य प्रमुख ने सदन को आश्वस्त किया कि आगामी तीन महीनों में बैंक न्यूनतम 5% ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि सुनिश्चित करेगा।

  सदन द्वारा अन्य सभी बैंकों से भी अपने ऋण-जमा अनुपात में सुधार हेतु ठोस कदम उठाने का आग्रह किया गया।

  (एक्शन- आईओबी सहित वे सभी बैंक जिनका ऋण-जमा अनुपात 40% से कम है)

- माननीय वित्त मंत्री ने जानकारी चाही कि क्या राज्य में कोई ऐसा जिला है जहाँ डीसीसी/डीएलआरसी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं हो रही हैं?

  सदन को अवगत कराया गया कि ***लातेहार और पलामू जिलों में डीसीसी एवं डीएलआरसी*** की बैठकें आयोजित नहीं की गई हैं। पलामू जिले के प्रतिनिधि ने बताया कि स्थायी एलडीएम की नियुक्ति नहीं होने के कारण

बैठक नहीं हो सकी। इस पर एलडीएम, पलामू ने आश्वासन दिया कि आगामी 20 दिनों के भीतर बैठक आयोजित कर ली जाएगी।

अग्रणी जिला प्रबंधक, लातेहार ने अवगत कराया कि जिला स्तरीय समिति की बैठक 7 अगस्त को निर्धारित थी, किन्तु अपरिहार्य कारणोंवश आयोजित नहीं हो सकी। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर बैठक बुला ली जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि सभी एलडीएम यह सुनिश्चित करें कि डीसीसी एवं डीएलआरसी की बैठकों की योजना पूर्व निर्धारित हो। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रायः बैठक की सूचना केवल एक दिन पूर्व ही दी जाती है, जिससे सार्थक चर्चा संभव नहीं हो पाती। अतः उन्होंने निर्देश दिया कि बैठक का एजेंडा एवं आमंत्रण समय रहते साझा किए जाएँ, ताकि बैठकें प्रभावी एवं परिणामोन्मुखी बन सकें।

माननीय वित्त मंत्री ने एसएलबीसी को निर्देश दिया कि डीएलसीसी एवं डीएलआरसी बैठकों के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए की युक्त बैठक किस जिला में हुई है या किस जिला में नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि एलडीएम को बैठक की तिथियों पर जनप्रतिनिधियों एवं उपायुक्त के साथ पूर्व चर्चा अवश्य करनी चाहिए।

इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि एलडीएम को बैठकों के लिए तिमाही के अंत तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि दो माह के भीतर बैठक आयोजित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि बैठक आयोजित न हो सके तो एलडीएम को इसके कारणों तथा अगली संभावित तिथि की जानकारी लिखित रूप में एसएलबीसी को प्रस्तुत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था डीसीसी एवं डीएलआरसी बैठकों के प्रभावी पर्यवेक्षण में सहायक सिद्ध होगी।

(एक्शन- एसएलबीसी, पलामू, लातेहार एवं समस्त जिला)

- माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि पलामू जिले की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, जहाँ ऋण-जमा अनुपात लगभग 36% है। उन्होंने उल्लेख किया कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पलामू जिला अब भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि पलामू प्रमंडल (पलामू, लातेहार एवं गढ़वा) की प्रति व्यक्ति आय लगभग 58,000 रुपये है। माननीय मंत्री ने बैंकों को सामाजिक, प्राथमिकता एवं गैर-प्राथमिकता वाले सभी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्य करने की सलाह दी तथा इन जिलों को विशेष प्राथमिकता देने का सुझाव दिया, साथ ही, उन्होंने राज्य स्तर से अधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अपने प्रदर्शन में सुधार हेतु प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। अंत में, उन्होंने कोर ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि के महत्व को भी रेखांकित किया।

  (एक्शन- एसएलबीसी, समस्त बैंक, एलडीएम पलामू, लातेहार और गढ़वा जिला)

- श्री रोशन चौधरी ने उन मुद्दों पर प्रकाश डाला जहाँ राज्य सरकार से सहयोग अपेक्षित है। प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

  1. CNT/SPT अधिनियम राज्य में ऋण प्रवाह की एक प्रमुख बाधा बने हुए हैं। भूमि को बंधक न रख पाने के कारण न केवल बड़े उद्योगों को ऋण देना कठिन है, बल्कि खुदरा आवास ऋण का विस्तार भी बैंकों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। परिणामस्वरूप, जिस भूमि पर बड़े उद्योग स्थापित होने चाहिए थे, उसका उपयोग केवल छोटे कारोबार, जैसे नर्सरी आदि, तक ही सीमित रह गया है।
  2. LPC/भूमि कब्जा प्रमाण पत्र: वर्तमान में झारखंड में बैंकों द्वारा बिना LPC के केवल ₹1 लाख तक का केसीसी ऋण स्वीकृत किया जा रहा है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख किया जाए, ताकि किसानों को सहज रूप से ऋण उपलब्ध हो सके और कृषि विकास को प्रोत्साहन मिले। उल्लेखनीय है

कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्णय के अनुसार बिना गारंटी के ₹2 लाख तक का ऋण प्रदान करने की अनुमति है।

3. रजिस्ट्रार/सब-रजिस्ट्रार के साथ चार्ज की नोटिंग: बैंकों के पास बंधक रखी जाने वाली प्रत्येक संपत्ति पर बैंक के चार्ज/अधिकार की ऑनलाइन नोटिंग यदि रजिस्ट्रार अथवा सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के माध्यम से सुनिश्चित की जाए तो इससे पारदर्शिता में वृद्धि होगी। भारत सरकार के Digital India Land Record Modernization Program (DILRMP) के निर्देशों का पालन करते हुए यदि एनआईसी एवं भू-निबंधन निदेशालय इस दिशा में ठोस पहल करें तो धोखाधड़ी के मामलों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकेगी।
4. स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता: भारतीय रिज़र्व बैंक ने उप-समिति की बैठक में अवगत कराया कि वित्तीय साक्षरता से संबंधित 70 अध्यायों में से 37 अध्याय स्कूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार से अपेक्षा है कि शेष अध्यायों को भी यथाशीघ्र पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे विद्यार्थियों में वित्तीय जागरूकता को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

(एक्शन- राज्य सरकार)

- सदन में 40% से कम ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों पर चर्चा हुई। अवगत कराया गया कि जून 2025 तिमाही तक राज्य के 06 जिलों का ऋण-जमा अनुपात 40% से नीचे है, जिनमें पश्चिमी सिंहभूम का अनुपात सबसे कम मात्र 13% है।

  पश्चिमी सिंहभूम के अग्रणी जिला प्रबंधक ने सदन को अवगत कराया कि 30 जून तक जिले में जमा राशि में तिमाही दर तिमाही वृद्धि ₹770 करोड़ (1.99%) रही, जबकि अग्रिम में वृद्धि ₹80 करोड़ (1.52%) रही, जो मार्च 2025 तिमाही की तुलना में है। उन्होंने कहा कि जमा राशि में अधिक वृद्धि के कारण जिले के ऋण-जमा अनुपात में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि पिछले तीन वर्षों के आँकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 की जून तिमाही में ऋण-जमा अनुपात 7.85% था, जो जून 2025 तक बढ़कर 13.43% हो गया है। तथापि, भारी जमा वृद्धि के कारण सीडी अनुपात अभी भी अपेक्षाकृत कम बना हुआ है।

  इस पर भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने पश्चिमी सिंहभूम जिले को नाबार्ड के साथ बैठक कर कृषि क्षेत्र में वित्तपोषण की संभावनाएँ तलाशने की सलाह दी। उन्होंने अन्य सभी एलडीएम जिनक ऋण जमा अनुपात 40% के नीचे हैं उन्हें भी नाबार्ड के साथ बैठक आयोजित करने तथा अग्रिम वृद्धि एवं सीडी अनुपात सुधार के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करने का आग्रह किया।

  माननीय वित्त मंत्री ने एसएलबीसी को यह सलाह दी कि वे पश्चिमी सिंहभूम जिले में ऋण-जमा अनुपात की स्थिति खराब रहने वाले सभी बैंकों को पत्र जारी करें।

  (एक्शन- एसएलबीसी, नाबार्ड, पश्चिमी सिंहभूम सहित सभी जिले, जहाँ ऋण-जमा अनुपात 40% से कम है)

- जेआरजी बैंक के अध्यक्ष ने सदन में भारी एनपीए की समस्या पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सर्टिफिकेट मामलों में डिफॉल्टरों को वारंट/समन जारी नहीं किए गए हैं तथा SARFAESI मामलों में जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त की अनुमति के अंतर्गत बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं। उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि डिफॉल्टरों के विरुद्ध वारंट/समन शीघ्र जारी किए जाएँ और जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त के पास लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए। अध्यक्ष ने कहा कि यदि इन दोनों बिंदुओं पर समयबद्ध कार्रवाई की जाती है तो राज्य में बैंकों की एनपीए स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा।

माननीय वित्त मंत्री ने इस विषय को कार्यवाही का हिस्सा बनाकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। साथ ही, उन्होंने वित्त विभाग के विशेष सचिव से अनुरोध किया कि वे उन जिलों के प्रमाणपत्र अधिकारियों को आमंत्रित करें, जहाँ सर्वाधिक मामले लंबित हैं, तथा बैंकरों के साथ बैठक कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(एक्शन- राज्य सरकार)

- सदन को अवगत कराया गया कि राज्य में एटीएम की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। मार्च 2025 की तुलना में जून 2025 तक एटीएम की संख्या में लगभग 3% की कमी आई है। यह भी बताया गया कि सर्वाधिक गिरावट भारतीय स्टेट बैंक में हुई है, क्योंकि वहाँ पुराने एटीएम को नए एटीएम से प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

  भारतीय स्टेट बैंक के राज्य प्रमुख ने सूचित किया कि सेवा प्रदाता AGS को बदला जा रहा है और सितंबर 2025 तक राज्य में नए रीसाइक्लर एटीएम स्थापित कर दिए जाएँगे।

(एक्शन- भारतीय स्टेट बैंक)

- माननीय कृषि मंत्री ने झारखंड राज्य में स्थायी बैंकिंग सेवाओं की संख्या में आई गिरावट पर जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मार्च 2025 में बीसी की संख्या 63,324 थी, जो जून 2025 में घटकर 49,004 रह गई है। यह पिछली तिमाही की तुलना में 22.61% की कमी दर्शाता है।

  माननीय मंत्री को अवगत कराया गया कि यह गिरावट मुख्यतः फिनो पेमेंट्स बैंक के कारण हुई है। आगे बताया गया कि पिछली एसएलबीसी बैठक में यह चर्चा हुई थी कि फिनो पेमेंट्स बैंक के पास मार्च 2025 तिमाही में लगभग 20,000 निष्क्रिय बीसी थे, जिन्हें 80% तक कम करने की बैंक ने प्रतिबद्धता जताई थी। किंतु, जून 2025 तिमाही में बैंक ने अपने सभी स्थायी बीसी को अस्थायी बीसी के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।

  फिनो पेमेंट्स बैंक के प्रतिनिधि ने सदन को अवगत कराया कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार फिनो पेमेंट्स बैंक के सभी बीसी को फिक्स्ड बीसी के बजाय पार्ट-टाइम बीसी माना जाएगा। इसी कारण बैंक ने सभी बीसी को फिक्स्ड बीसी के स्थान पर पार्ट-टाइम बीसी के रूप में रिपोर्ट किया है। प्रतिनिधि ने आगे बताया कि बैंक ने जुलाई माह में पोर्टल से 7,200 निष्क्रिय बीसी हटाने का अनुरोध पहले ही कर दिया है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि 80–90% निष्क्रिय बैंकिंग संवाददाताओं को सक्रिय बीसी से प्रतिस्थापित करने की प्रगति आगामी एसएलबीसी बैठक में परिलक्षित होगी।

  माननीय कृषि मंत्री ने उल्लेख किया कि कुछ प्रमुख बैंकों ***जैसे कनारा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंक में स्थायी बैंकिंग संवाददाताओं की संख्या में आई गिरावट*** का प्रतिकूल प्रभाव अग्रिम प्रवाह, एनपीए वसूली एवं सीडी अनुपात पर भी पड़ रहा है। उन्होंने राज्य में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच को सुदृढ़ करने हेतु एक विशेष कार्ययोजना तैयार करने का सुझाव युक्त बैंको के राज्य पप्रमुखों को दिया।

  माननीय मंत्री ने फिनो पेमेंट्स बैंक के उत्तर पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस विषय पर पिछली दो बैठकों से चर्चा चल रही है, किंतु बैंक ने जुलाई माह में अपने मुख्यालय को इस विषय पर सूचना दी, जो बैंक की अक्षमता को दर्शाता है।

(एक्शन- फिनो पेमेंट बैंक एवं बैंक जिनके बीसी में गिरावट दर्ज हुई है)

- सदन को अवगत कराया गया कि गुरूजी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत बैंकों को कुल 3,894 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,381 आवेदन स्वीकृत किए गए, 1,428 आवेदन लंबित हैं तथा 1,085 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए।

माननीय कृषि मंत्री ने सुझाव दिया कि 'गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना' वर्ष 2024 में तैयार की गई थी और संभव है कि इसमें सरकार की ओर से कुछ कमियाँ रह गई हों। अतः बैंकों द्वारा राज्य सरकार को फीडबैक प्रदान किया जाना आवश्यक है। उन्होंने प्रस्ताव किया कि ***इस योजना की समीक्षा हेतु 9 अग्रणी बैंकों के साथ एक बैठक आयोजित की जाए तथा माननीय वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और मुख्य सचिव को इस संबंध में पत्र प्रेषित किया जाए।***

माननीय वित्त मंत्री ने 'गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना' के अंतर्गत बैंकों के प्रदर्शन पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस योजना का मूल उद्देश्य राज्य सरकार की 100% गारंटी के साथ छात्रों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने आगे अवगत कराया कि राज्य सरकार बैंकों में सरकारी जमा राशि रखने हेतु एक मानदंड निर्धारित कर रही है, जिसमें 'गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना' के अंतर्गत बैंकों का प्रदर्शन भी एक प्रमुख मानदंड होगा।

जेआरजी बैंक के चेयरमैन ने सदन को अवगत कराया कि वर्तमान में केवल NAAC से मान्यता प्राप्त छात्र ही 'गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना' के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अनेक अन्य उत्कृष्ट कॉलेज, जिन्हें NAAC से मान्यता प्राप्त नहीं है, उन्हें भी इस योजना के दायरे में शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए।

(एक्शन- समस्त बैंक, राज्य सरकार एवं एसएलबीसी)

ग) माननीय कृषि मंत्री, झारखंड सरकार श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की का सम्बोधन-

❖ माननीय कृषि मंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि विभाग से संबंधित उनके कुछ प्रश्न हैं, जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है:

➢ श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने सदन से जानना चाहा कि वर्ष की शुरुआत में वित्तीय वर्ष हेतु किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य 25 लाख तय किया गया था। इस पर उन्होंने प्रश्न किया कि अगस्त 2025 तक केसीसी के अंतर्गत राज्य की उपलब्धि क्या है तथा राज्य में केसीसी का औसत आकार कितना है?

(एक्शन- एसएलबीसी)

➢ माननीय कृषि मंत्री ने आगे कहा कि राज्य के प्रमुख बैंक जैसे ***बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक और झारखंड राज्या ग्रामीण बैंक***, जिन्हें झारखंड कृषि ऋण माफी योजना से सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ है, उनके द्वारा ऋण वितरण अभी भी अपेक्षाकृत कम है। अतः बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों के अंतर्गत सुधार हेतु अपने कारणों एवं रणनीतियों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें।

(एक्शन- बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, झारखंड राज्या ग्रामीण बैंक एवं अन्य बैंक)

➢ श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य में स्केल ऑफ फाइनेंस निर्धारित किया गया है, किन्तु बैंक किसानों को उससे कम वित्तपोषण कर रहे हैं, जिसके कारण एनपीए की स्थिति उत्पन्न हो रही है और यह राज्य के लिए चिंताजनक है। अतः उन्होंने अनुरोध किया कि बैंक स्पष्ट करें कि वे किसानों को स्केल ऑफ फाइनेंस से कम वित्तपोषण क्यों कर रहे हैं।

(एक्शन- समस्त बैंक)

➢ माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि बैंकों को डेयरी एवं मत्स्यपालन के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड ऋण उपलब्ध कराना आवश्यक है। इस पर उन्होंने अनुरोध किया कि डेयरी एवं मत्स्यपालन के अंतर्गत औसत ऋण आकार क्या है तथा अब तक इन क्षेत्रों में कितना वितरण किया गया है, इसकी जानकारी प्रस्तुत की जाए।

(एक्शन-एसएलबीसी)

➢ माननीय मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि नाबार्ड ने ई-केसीसी पर एक सराहनीय पहल की है, जिसे यदि राज्य में लागू किया जाता है तो यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। इसके माध्यम से केसीसी ऋणों की समग्र निगरानी संभव होगी तथा किसानों को समय पर ऋण स्वीकृति मिल सकेगी। उन्होंने नाबार्ड से अनुरोध किया कि ई-केसीसी प्लेटफ़ॉर्म की अद्यतन स्थिति से सदन को अवगत कराया जाए।

(एक्शन- नाबार्ड)

➢ माननीय मंत्री ने राज्य सहकारी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सहकारी बैंक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस कारण वहां सीईओ की नियुक्ति होना नितांत आवश्यक है। इस संदर्भ में उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक से सीईओ की नियुक्ति के संबंध में जानकारी मांगी।

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य सहकारी बैंक के सीईओ की बैठक में अनुपस्थिति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछली एसएलबीसी बैठक में भी सीईओ उपस्थित नहीं थे, जिससे बैठक की महत्ता प्रभावित हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में LAMPS और PACS का वित्तपोषण राज्य सहकारी बैंक पर निर्भर करता है और इन संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है, किंतु किसानों तक इसका लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। उन्होंने सभी हितधारकों से यह जानना चाहा कि राज्य सहकारी बैंक की भूमिका को कैसे सुदृढ़ किया जाए तथा इसके सीईओ की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषय का समाधान किस प्रकार किया जाएगा।

उन्होंने यह भी जोड़ा कि एसएलबीसी की बैठक केवल औपचारिकता भर नहीं होनी चाहिए। बैठक में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा की गई चर्चा को सभी हितधारकों द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि लगभग 3-4 माह पूर्व उन्होंने राज्य सहकारी बैंक को एक पत्र लिखा था, किंतु विभाग को अब तक बैंक की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर उन्होंने जानना चाहा कि राज्य सहकारी बैंक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने माननीय मंत्री को अवगत कराया कि आरबीआई के पास PRAVAAH नामक एक पोर्टल है, जिस पर राज्य सहकारी बैंकों को सीईओ नियुक्ति हेतु आवेदन कम-से-कम तीन माह पूर्व करना आवश्यक है। साथ ही, एक से अधिक उम्मीदवारों के आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए, क्योंकि यदि केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बार भी राज्य सहकारी बैंक द्वारा केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

(एक्शन- झारखंड राज्य सहकारी बैंक एवं नाबार्ड)

➢ माननीय कृषि मंत्री ने सुझाव दिया कि राज्यभर में सितंबर माह के दौरान ब्लॉक स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएँ। इन शिविरों में वित्तीय समावेशन (FI), किसान क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के प्रति जागरूकता, छात्रों हेतु संयुक्त खाता खोलने जैसी गतिविधियाँ शामिल की जाएँ। इसके लिए एक विस्तृत कार्ययोजना/कार्यक्रम-तालिका तैयार की जानी चाहिए, जिसमें उपरोक्त सभी बिंदुओं को समाहित किया जाए।

(एक्शन-एसएलबीसी, समस्त एलडीएम एवं बैंक)

➢ श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि बैंकरों के प्रशिक्षण से संबंधित विषय, विशेषकर एफपीओ (FPO) के संदर्भ में, एसएलबीसी की उप-समिति की बैठक में चर्चा के लिए आया था। इस पर उन्होंने आग्रह किया कि इसके

लिए एक कार्ययोजना तैयार की जाए, क्योंकि राज्य का फोकस एफपीओ को बढ़ावा देने पर है। यदि इस संबंध में कृषि विभाग से किसी प्रकार की सहायता अपेक्षित हो तो उसे भी अवगत कराया जा सकता है।

(एक्शन- नाबार्ड एवं राज्य सरकार)

➢ अंत में माननीय मंत्री ने बैंकों को सलाह दी कि वे ज़रूरतमंदों को सही तरीके से तथा समय पर वित्तपोषण सुनिश्चित करें। उन्होंने आगे कहा कि जहाँ देश की प्रति व्यक्ति आय लगभग ₹8,000 है, वहीं झारखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय लगभग ₹7,000 है। ऐसे में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि बैंक राज्य में ज़रूरतमंदों के वित्तपोषण पर विशेष ध्यान दें।

(एक्शन-समस्त बैंक)

घ) नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री गौतम कुमार सिंह का सम्बोधन -

- श्री गौतम कुमार सिंह ने जून 2025 तिमाही के लिए बैंकों के प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि ऋण-जमा अनुपात में लगातार वृद्धि हो रही है, जो राज्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने आगे बताया कि जून 2025 तिमाही में सीडी अनुपात 51.32% तक पहुँच गया है, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 3.50% की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही उन्होंने झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को 60% से अधिक सीडी अनुपात प्राप्त करने पर बधाई दी।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक की मास्टर सर्कुलर के अनुसार राज्य के 11 जिले ऐसे हैं जिन्हें 'लो प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग' जिले के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहाँ प्रति व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र ऋण (PSL) ₹9,000 से कम है। उन्होंने आगे बताया कि रांची एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ प्राथमिक क्षेत्र ऋण ₹42,000 से अधिक है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- माननीय कृषि मंत्री द्वारा राज्य में फसल ऋण स्वीकृति से संबंधित उठाए गए प्रश्न के उत्तर में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड ऋण का लक्ष्य 25,27,265 निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में खरीफ फसल प्रमुख रूप से बोई जाती है, इसलिए केसीसी ऋण वितरण के लिए पहली और दूसरी तिमाही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके बावजूद जून 2025 तक राज्य की उपलब्धि मात्र 5.40% रही, जो 1,36,578 केसीसी ऋणों के बराबर है।

  उन्होंने आगे बताया कि डेयरी क्षेत्र में राज्य की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, जहाँ 5,100 केसीसी ऋण वितरित किए गए और औसत ऋण आकार लगभग ₹57,000 रहा, जबकि प्रमुख बैंकों का औसत ऋण आकार बहुत कम है। उन्होंने कहा कि एक्सिस बैंक का औसत ऋण आकार प्रति केसीसी लगभग ₹1.60 लाख है।

  श्री सिंह ने कहा कि राज्य सहकारी बैंक का प्रदर्शन राज्य के लिए चिंता का विषय है, जहाँ इस वर्ष केवल 0.25% लक्ष्य की पूर्ति हुई, जो ₹2.25 करोड़ की ऋण वितरण राशि के बराबर है। वहीं, डीसीसीबी का प्रदर्शन शून्य रहा। उन्होंने संबंधित बैंकों से अनुरोध किया कि वे अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रभावी रणनीतियाँ तैयार कर प्रस्तुत करें।

  नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने आगे जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में कुल कृषि ऋण वितरण की स्थिति फसल ऋण की तुलना में कुछ बेहतर रही है। 30.06.2025 तक राज्य ने कुल कृषि के अंतर्गत 12.31% लक्ष्य प्राप्त किया है, जो ₹4,410.67 करोड़ के कुल वितरण के बराबर है। उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे फसल ऋण (केसीसी) के अंतर्गत वित्तपोषण पर अधिक ध्यान केंद्रित करें ताकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

(एक्शन- JSCB, DCCB एवं अन्य बैंक)

- माननीय कृषि मंत्री द्वारा ई-केसीसी से संबंधित उठाए गए बिंदु के संदर्भ में श्री गौतम कुमार सिंह ने सदन को अवगत कराया कि नाबार्ड झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, धनबाद केंद्रीय सहकारी बैंक तथा झारखंड राज्य सहकारी बैंक के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए है। उन्होंने आगे बताया कि JSCB की बोर्ड बैठक लंबित है, और बोर्ड से अनुमोदन मिलने के पश्चात आवश्यक API कार्य को पूरा किया जाएगा। इसके बाद बैंकों और सेवा प्रदाता के बीच त्रिपक्षीय समझौता कर ई-केसीसी को लागू किया जाएगा।

  नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि ई-केसीसी के लागू होने से केसीसी ऋण की स्वीकृति प्रक्रिया सुगम हो जाएगी। भूमि अभिलेखों को 'कृषि ऋण पोर्टल' से एकीकृत करने पर ऋण सीमा की गणना स्वतः निर्धारित हो सकेगी, जिससे बिना LPC के भी ऋण स्वीकृति संभव होगी।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने सदन को झारखंड राज्य में नाबार्ड द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पहल कार्यक्रमों की जानकारी दी। इसमें जलवायु आधारित कृषि गतिविधियाँ, चालू वित्तीय वर्ष के लिए चार आदिवासी विकास परियोजनाएँ, एक वाटरशेड परियोजना, तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने संबंधी योजनाएँ शामिल हैं, जो भारत सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नाबार्ड ने राज्य के लिए पाँच 'जीवा' परियोजनाओं को स्वीकृत किया है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करना है।

  श्री सिंह ने आगे कहा कि झारखंड राज्य लाह (LAC) एवं तसर खेती के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने जानकारी दी कि नाबार्ड खूँटी और हज़ारीबाग जिलों में Semi lata मॉडल आधारित लाह खेती को बढ़ावा दे रहा है, जो बैंकों के लिए वित्तपोषण का एक अच्छा अवसर है।

  उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे नाबार्ड द्वारा संचालित परियोजनाओं जैसे वाड़ी, वाटरशेड या एफपीओ के अंतर्गत अधिक से अधिक वित्तपोषण करें। इससे बैंकों को अपने ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि करने का अवसर मिलेगा और चूँकि ये संगठन सामुदायिक आधारित हैं, इसलिए वसूली में भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री सिंह ने बताया कि नाबार्ड ने माननीय मंत्री द्वारा एफपीओ (FPOs) के संबंध में दिए गए सुझाव के अनुरूप एक कार्यशाला आयोजित करने की योजना बनाई है। उन्होंने आगे कहा कि नाबार्ड, कृषि विभाग के समन्वय से कार्यशाला का आयोजन कर सकता है या आवश्यकता पड़ने पर नाबार्ड स्वयं भी एफपीओ पर कार्यशाला अथवा एक्सपोज़र विज़िट आयोजित कर सकता है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि नाबार्ड, मत्स्य विभाग, भारत सरकार तथा झारखंड सरकार के समन्वय से हज़ारीबाग, रामगढ़, राँची और बोकारो जिलों के कुछ हिस्सों में Pearl Cluster का विकास कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले वर्षों में नाबार्ड इन क्लस्टरों को बड़े स्वरूप में विकसित करने को प्रोत्साहित करेगा। उन्होने बताया कि क्लस्टरों के विकास में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इन क्लस्टरों के लाभार्थियों को working capital सीमा की आवश्यकता होगी।

  उन्होंने यह भी बताया कि PEARL तथा अन्य मत्स्य गतिविधियों के लिए unit cost में प्रावधान उपलब्ध कराया गया है, साथ ही, इस वर्ष लाह खेती के लिए Scale of Finance में शामिल किया गया है, जो हितधारकों की प्रमुख माँगों में से एक थी।

(एक्शन- समस्त बैंक)

ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह का सम्बोधन -

❖ श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर चल रहे तीन माह के सैचुरेशन अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन सभी लोगों को बैंकिंग सुविधा के दायरे में लाना है जो अब तक इससे वंचित हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने आगे कहा कि चल रहे विशेष अभियान का उद्देश्य योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है और बैंकों के पास भी लोगों से जुड़ने का यह सुनहरा अवसर है। श्री सिंह ने आगे कहा कि बैंक और एलडीएम को अपने क्षेत्र के लोगों के भविष्य को बदलने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकतम पात्र लोगों को योजनाओं के अंतर्गत नामांकित करने के उद्देश्य से शिविरों का आयोजन किया जाए।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

❖ भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने जानकारी दी कि आरबीआई राज्य में नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इन कार्यक्रमों में वित्तीय जागरूकता पहल के अलावा ग्राहकों को यह भी बताया जाता है कि किसी छोटे बैंक के किसी भी कारण से बंद हो जाने की स्थिति में ₹5.00 लाख तक की जमा राशि का बीमा डीआईजीसी (DICGC) द्वारा प्रदान किया जाता है।

उन्होंने आगे बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में भी जानकारी दी जाती है। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में आरबीआई ने 90 विद्यालयों में ऐसे 90 कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें छात्रों को वित्तीय पहल और शिक्षा ऋण से संबंधित जानकारी प्रदान की गई।

श्री सिंह ने जानकारी दी कि आरबीआई ने महिलाओं के लिए विशेष एक सप्ताह का कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें महिला उद्यमियों, गृहणियों तथा सेवा क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को योजनाओं, उनके अधिकारों और अन्य आवश्यक जानकारी से अवगत कराया गया।

उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि हर व्यक्ति, चाहे वह कृषि कार्य में संलग्न हो या छोटे व्यवसाय में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्हें उनके लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ उनतक पाहुच सके।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

❖ श्री सिंह ने बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक पहल की है, जिसके अंतर्गत माननीय डिप्टी गवर्नर और कार्यकारी निदेशक ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर तीन माह के सैचुरेशन अभियान का सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित कर रहे हैं। इस संदर्भ में माननीय डिप्टी गवर्नर ने ओरमांझी ग्राम पंचायत का दौरा किया, जहाँ 07–08 बैंकों के साथ बीसी भी उपस्थित थे। वहाँ लगभग 4,000 री-केवाईसी तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित कार्य संपन्न हुआ, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। उन्होंने सभी बैंकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और बैंकों एवं एलडीएम से आग्रह किया कि वे शेष शिविरों का आयोजन भी इसी उत्साह के साथ करें ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिल सके।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

❖ श्री सिंह ने बताया कि आरबीआई बैंक एवं एलडीएम को प्रचार सामग्री (फ्लायर्स) उपलब्ध कराई है और बैंकों व एलडीएम से आग्रह किया है कि वे आगामी शिविर के आयोजन का प्रभावी प्रचार करें। उन्होंने सुझाव दिया कि शिविर से 2–3 दिन पहले इसकी घोषणा की जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक इसकी जानकारी पहुँच सके और वे इस शिविर का लाभ उठा सकें।

माननीय कृषि मंत्री द्वारा उठाए गए बिंदु का उल्लेख करते हुए, जहाँ उन्होंने कहा था कि छात्रों के बैंक खाते उपलब्ध न होने के कारण छात्र सरकारी योजनाओं के विभिन्न लाभों से वंचित रह जाते हैं, श्री सिंह ने बताया कि आरबीआई ने 'मैजिक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी' के नाम से स्कूलों में 101 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षा को रोचक बनाने के साथ साथ छात्रों को 20 से अधिक योजनाओं की जानकारी प्रदान करना है।

श्री सिंह ने यह भी कहा कि इस 101 स्कूली कार्यक्रम का सकारात्मक पहलू यह रहा कि अधिकांश छात्र ने अपने बैंक खाते होने का बात बताई, फिर भी उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे शेष छात्रों के लिए बिना किसी शुल्क वाले खाते (No Frill Account) खोलें ताकि वे भी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने चल रहे तीन माह के सैचुरेशन अभियान में राज्य के प्रदर्शन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियान के 42वें दिन तक कुल 4,344 शिविर आयोजित किए जाने हैं, जिनमें से अब तक 50 प्रतिशत से अधिक शिविर सम्पन्न हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 50 प्रतिशत से अधिक शिविर सम्पन्न होने तक राज्य में 1,52,486 री-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की गई है, 50,000 से अधिक प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते खोले गए हैं, 73,000 से अधिक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 1,23,000 से अधिक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और 55,000 से अधिक खातों में नामित दर्ज पूरे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े प्रभावशाली तो हैं, लेकिन लंबित री-केवाईसी के मुकाबले प्रदर्शन बहुत कम है।

  श्री सिंह ने आगे कहा कि HDFC बैंक का प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक है। उन्होंने बताया कि 50 प्रतिशत से अधिक शिविर सम्पन्न हो जाने के बावजूद, जहाँ बैंक के पास लगभग 2 लाख लंबित री-केवाईसी हैं, बैंक ने अब तक केवल 61 री-केवाईसी पूरे किए हैं। उन्होंने बैंक से आग्रह किया कि री-केवाईसी पहल को प्राथमिकता देते हुए इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करें।

  श्री सिंह ने सभी बैंकों और एलडीएम को यह भी सलाह दी कि जहाँ सुरक्षा से जुड़ी कोई समस्या न हो, वहाँ शिविरों का संचालन शाम 7 बजे तक जारी रखें ताकि ग्रामीण लोग अधिक संख्या में शिविरों में भाग ले सकें और इसका लाभ उठा सकें।

  (एक्शन- समस्त बैंक, एलडीएम एवं HDFC बैंक)

- श्री सिंह ने सदन को डिजिटल माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति के संबंध में विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफ़ेस (ULI) लॉन्च किया है, जिसमें देश के आठ राज्यों ने डिजिटल KCC के लिए पंजीकरण कर लिया गया है। उन्होने आगे बताया कि आरबीआई की केंद्रीय टीम ने झारखंड राज्य का भी दौरा किया, परंतु राज्य में भूमि अभिलेखों का डेटा सीधे एकीकृत न हो पाने के कारण डिजिटल KCC का क्रियान्वयन अभी लंबित है।

  श्री सिंह ने आगे बताया कि आरबीआई ने इस समस्या के समाधान के लिए झारखंड सरकार के वित्त विभाग के सचिव से शीघ्र समाधान का आग्रह किया गया है, ताकि किसानों को KCC ऋण मिनटों में स्वीकृत किया जा सके।

  (एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने सदन को अवगत कराया कि आरबीआई की केंद्रीय टीम ने मेधा डेयरी के आंकड़ों की समीक्षा कर ली गयी है और हस्ताक्षर हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) झारखंड दुग्ध महासंघ को प्रस्तुत कर दिया है। उन्होने कहा कि यदि झारखंड दुग्ध महासंघ इस समझौते पर हस्ताक्षर कर देता है, तो गुजरात के बाद झारखंड देश का दूसरा राज्य होगा जो एकीकृत ऋण इंटरफ़ेस के माध्यम से डेयरी किसानों को ऋण उपलब्ध करा पाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि यह राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी, क्योंकि इससे डेयरी किसानों को डिजिटल माध्यम से मात्र एक मिनट में ऋण स्वीकृत हो सकेगा। साथ ही, उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगामी बैठक तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर संपन्न हो जाएँगे।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

च) विशेष सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार, श्री संदीप सिंह का सम्बोधन

❖ श्री सिंह ने कहा कि राज्य का ऋण-जमा अनुपात 51.32 प्रतिशत तक पहुँच गया है, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 78 प्रतिशत है, जो राज्य और राष्ट्रीय औसत के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर बैंक और वित्त विभाग के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बैंकों द्वारा इसे 55 प्रतिशत तक पहुँचाने का प्रस्ताव रखा गया।

श्री सिंह ने बैंकों से आग्रह किया कि वे मार्च 2026 तक ऋण-जमा अनुपात को 60 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रयास करें। साथ ही उन्होंने बैंकों को सलाह दी कि वे अपने जिलेवार प्रदर्शन की समीक्षा करें, पहचान प्रक्रिया के लिए एक सूक्ष्म कार्ययोजना तैयार करें और सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बैंक का ऋण-जमा अनुपात राज्य के समग्र ऋण-जमा अनुपात में सुधार लाने में योगदान दे।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ वित्त विभाग के विशेष सचिव ने झारखंड राज्य में बैंकों द्वारा एनपीए वसूली के मुद्दे पर चर्चा करते हुए बताया कि वित्त विभाग संबंधित हितधारकों को सर्टिफिकेट मामलों तथा SARFAESI मामलों के त्वरित निपटान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करेगा।

(एक्शन- वित्त विभाग, झारखंड सरकार)

❖ श्री संदीप सिंह ने कहा कि राज्य में प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषण की पहुँच संतोषजनक स्थिति में है, किंतु प्रति स्वयं सहायता समूह खाते में वितरित राशि की दृष्टि से झारखंड अन्य राज्यों की तुलना में पीछे है। उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे स्वयं सहायता समूहों के प्रति खाते में वित्तपोषण की राशि बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री सिंह ने सदन को अवगत कराया कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बैंकिंग सुविधाविहीन ग्रामीण केंद्रों के विषय पर एक बैठक आयोजित की गई थी और इस संदर्भ में सभी बैंकों को आवश्यक पत्र जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य में अनेक ऐसे स्थल हैं जहाँ 5–10 किलोमीटर के दायरे में कोई बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, तथा कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ 10 किलोमीटर के दायरे में कोई बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं हैं।

श्री सिंह ने आगे बताया कि एसएलबीसी तथा आसपास कार्यरत बैंकों के माध्यम से ऐसे केंद्रों की स्वीकृति के लिए अनुरोध भेजा गया है तथा उन्होंने आसवस्त किया कि परिसर से संबंधित कठिनाइयों या अन्य समस्याओं की स्थिति में बैंक जिला प्राधिकरण और वित्त विभाग को सूचित कर सकते हैं।

उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे 5 किलोमीटर से अधिक दायरे वाले बैंकिंग सुविधाविहीन केंद्रों को प्राथमिकता के आधार पर कवर करें और योजना बनाकर अगली बैठक में ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करें ताकि इस दिशा में प्रभावी चर्चा की जा सके।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ वित्त विभाग के विशेष सचिव ने सदन को बैंकों में जमा सरकारी धनराशि के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिलों और बैंकों में सरकारी खातों तथा उन खातों में जमा राशि का विवरण प्राप्त करने हेतु IFMS से जुड़ने के लिए फरवरी–मार्च 2025 में एक अभ्यास शुरू किया गया था। उन्होंने झारखंड राज्य सहकारी बैंक, धनबाद केंद्रीय सहकारी बैंक तथा झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक से आग्रह किया कि वे शीघ्र IFMS के माध्यम से ऑनबोर्ड हों।

इसके अतिरिक्त उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और एक्सिस बैंक से अनुरोध किया, जिन्हें पहले ही IFMS से ऑनबोर्ड कर दिया गया है, परंतु ये बैंक अभी तक अपनी प्रणाली को लाइव नहीं कर सके हैं, जिससे आवश्यक डेटा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। श्री सिंह ने यह भी बताया कि यूको बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक ने अभी तक परीक्षण प्रक्रिया आरंभ नहीं की है।

उन्होंने आगे बताया कि छह ऐसे बैंक हैं जिनकी परीक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनका डेटा लाइव नहीं है। ये बैंक हैं – पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक और बंधन बैंक। उन्होंने इन बैंकों से आग्रह किया कि वे लंबित प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करें ताकि आवश्यक डेटा उपलब्ध हो सके।

(एक्शन- ऊपर दिये समस्त बैंक)

❖ श्री संदीप सिंह ने कहा कि माननीय वित्त मंत्री ने बैंकों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय को लेकर चिंता व्यक्त की है। यह देखा गया है कि बैंकों का अधिकांश सीएसआर व्यय कुछ ही जिला मुख्यालयों तक सीमित है। उन्होंने बैंकों को सीएसआर से संबंधित निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी।

श्री सिंह ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में एचडीएफसी बैंक द्वारा किए गए सीएसआर व्यय पर माननीय वित्त मंत्री ने अवलोकन किया है कि क्या बैंक ने दिशानिर्देशों के अनुरूप व्यय किया है या नहीं। इसके लिए उन्होंने बैंक से यह विस्तृत जानकारी माँगी है कि उसने किन-किन क्षेत्रों में व्यय किया है।

उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे अपने मुख्यालय द्वारा स्वीकृत सीएसआर योजना के अनुरूप व्यय करें और यह सुनिश्चित करें कि सीएसआर गतिविधियाँ किसी एक क्षेत्र तक सीमित न रहें, बल्कि व्यापक स्तर पर संचालित की जाएँ।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं hdfc बैंक)

छ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, JSLPS, झारखंड सरकार, श्री अनन्या मित्तल का सम्बोधन-

❖ श्री अनन्या मित्तल ने सदन में JSLPS से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बैंकों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों का जुड़ाव काफी बढ़ा है और आज राज्य स्वयं सहायता समूहों के खातों के उपयोग तथा पुनर्भुगतान के मामले में संतोषजनक स्थिति में है। हालाँकि, श्री मित्तल ने बताया कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें प्रगतिशील कदम के रूप में समाधान की आवश्यकता है, विशेषकर व्यक्तिगत वित्तपोषण से जुड़ी समस्याएँ।

उन्होंने आगे कहा कि JSLPS की शुरुआत रिवॉल्विंग फंड और सीआईएफ के माध्यम से हुई थी, जहाँ स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को ऋण प्राप्ति, धन प्रबंधन और पुनर्भुगतान से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

श्री मित्तल ने कहा कि अब हमारा अगला कदम यह होना चाहिए कि स्वयं सहायता समूह सीधे बैंकों से ऋण लें और सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे सीआईएफ अनुदान पर निर्भरता कम की जाए, जिससे समूहों की वित्तीय स्वावलंबन क्षमता में वृद्धि हो।

श्री मित्तल ने बताया कि आज तक अधिकांश स्वयं सहायता समूहों का पहला लिंकेज पूरा हो चुका है और समूहों के लिंकेज को और बढ़ाने का कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि अब बैंक स्तर से यह अपेक्षा की जाती है कि व्यक्तिगत वित्तपोषण से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, चाहे वह सरकार की ओर से व्यवसाय योजना निर्माण से संबंधित हो या बैंकों द्वारा पुनर्भुगतान से जुड़ा मामला हो, JSLPS और बैंकों को मिलकर समन्वयपूर्वक कार्य करना आवश्यक है ताकि स्वयं सहायता समूहों को अधिक प्रभावी ढंग से वित्तीय सहायता मिल सके।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेएसएलपीएस ने RSETI से संबंधित मुद्दा उठाते हुए बताया कि झारखंड राज्य में कुल 24 RSETI तथा 1 RUDSETI संचालित हैं, जो राज्य के 5 बैंकों द्वारा प्रायोजित है। उन्होंने आगे कहा कि 15 अगस्त तक स्टैटिक आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाने की अंतिम तिथि सुनिश्चित करनी थी किन्तु सभी आरसेटी में कैमरे तो लगाए जा चुके हैं, परंतु ये कैमरे वेब एप्लिकेशन के माध्यम से कार्यरत हैं, जिससे ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रभावी निगरानी संभव नहीं हो पा रही है।

अतः उन्होंने प्रायोजित बैंकों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने आरसेटी निदेशकों को स्टैटिक आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश प्रदान करें ताकि निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ हो सके।

(एक्शन- RSETI प्रायोजित बैंक)

❖ श्री अन्नया मित्तल ने PMJJBY और PMSBY के तहत claim settlement का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने बताया कि जेएसएलपीएस से लगभग 32 लाख महिलाएँ जुड़ी हैं और उनके साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित claim settlement राज्य में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि जेएसएलपीएस अपने स्तर पर इसकी निगरानी कर रहा है, किन्तु बैंकों को भी अपने स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करनी की आवश्यकता है। श्री मित्तल ने सुझाव दिया कि यदि बैंक के शाखा प्रबंधक सीएनएफई क्लस्टर बैठकों में भाग लें, तो बैंकों से संबंधित एनपीए, व्यक्तिगत वित्तपोषण तथा claim settlement जैसे मुद्दों की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री मित्तल ने कहा कि एसएलबीसी उप-समिति की बैठक में एक मुद्दा सामने आया कि बैंकों ने PMJJBY और PMSBY के तहत दावों के निपटान के लिए विभिन्न बीमा कंपनियों के साथ गठजोड़ किया है। उन्होंने आगे बताया कि कुछ बीमा कंपनियाँ ऐसी शर्तें लगा रही हैं जिन्हें दावाकर्ता पूरा नहीं कर पाता, जिससे पूरी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो रही है। उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे बीमा कंपनियों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखें और सुनिश्चित करें कि दस्तावेज़ों की माँग योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप हो, ताकि दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

(एक्शन- समस्त बैंक)

ज) कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया श्री पी आर राजगोपाल का सम्बोधन -

❖ बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक, श्री राजगोपाल ने माननीय वित्त मंत्री और कृषि मंत्री को एसएलबीसी कि बैठक में उनके निरंतर मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी बैठक में उपस्थिती हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में राज्य ने प्रमुख संकेतकों में उल्लेखनीय और सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है जिसके लिए उन्होने सभी हितधारकों को हार्दिक बधाई दी।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

❖ श्री राजगोपाल ने सदन को अवगत कराया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य की वार्षिक ऋण योजना 1,49,182 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें 30 जून, 2025 तक राज्य ने 33.37 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उन्होंने आगे विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 का वार्षिक लक्ष्य वर्ष के अंत तक राज्य द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय ने आगे कहा कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत राज्य की उपलब्धि कम है, इसलिए उन्होंने बैंकों से कृषि क्षेत्र में अपने वित्तपोषण को बढ़ाने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने माननीय कृषि मंत्री द्वारा निष्क्रिय बीसी पर उठाए गए मुद्दे का उल्लेख करते हुए उन बैंकों से अनुरोध किया जहाँ निष्क्रिय बीसी की संख्या अधिक है, कि वे मौजूदा बीसी चैनल को सक्रिय करें या आवश्यक होने पर उसी स्थान पर नए बीसी की नियुक्ति करें।

(एक्शन- समस्त बैंक जिनके बीसी निष्क्रिय हैं)

❖ श्री पी.आर. राजगोपाल ने बताया कि झारखंड राज्य में वित्तीय सेवा विभाग द्वारा 29 ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान की गई है जहाँ 5000 से अधिक जनसंख्या है और 5 किलोमीटर के दायरे में कोई बैंक शाखा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि इन स्थानों को संबंधित बैंकों को आवंटित कर दिया गया है तथा उन्होने उन बैंकों से आग्रह किया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी शाखाएँ संबन्धित स्थान में स्थापित करें।

(एक्शन- समस्त आवंटित बैंक)

❖ श्री पी.आर. राजगोपाल ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले ऋणों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, फिर भी अल्पसंख्यकों और महिलाओं को दिए जाने वाले ऋणों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने बैंकों से चालू वित्त वर्ष में इन वर्गों को प्रदान किए जाने वाले ऋणों में सुधार लाने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने माननीय वित्त मंत्री द्वारा उठाए गए उस बिंदु का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा था कि पलामू, लातेहार और गढ़वा जिलों में प्रगति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने इन जिलों के एलडीएम से अनुरोध किया कि वे जिलों के बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर रणनीति तैयार करें और जिलों में आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दें।

(एक्शन- एलडीएम पलामू,लातेहार और गढ़वा)

❖ श्री राजगोपाल ने कहा कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत बैंकों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। उन्होंने बैंकों से योजना के अंतर्गत लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने का आग्रह किया और सलाह दी कि सभी पात्र आवेदनों को स्वीकृत किया जाए, क्योंकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा 100% गारंटी के साथ समर्थित है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने माननीय कृषि मंत्री द्वारा केसीसी फसल ऋण, मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित उठाए गए बिंदु का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जैसा कि मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा बताया गया है, चालू वित्त वर्ष में बैंकों ने 1,35,452 केसीसी फसल ऋण खातों को 925.51 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है, जबकि केसीसी पशुपालन में अब तक 16,885 खातों को 105.09 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने आगे कहा कि केसीसी मत्स्य पालन में प्रगति कम है, इसलिए बैंकों और एलडीएम से आग्रह किया कि वे इस क्षेत्र में वित्तपोषण में सुधार लाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री पी.आर. राजगोपाल ने बताया कि तीन महीने के संतृप्ति शिविर के अंतर्गत बैंकों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है और यह राज्य देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है। उन्होंने बताया कि इस संतृप्ति शिविर के दौरान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। श्री राजगोपाल ने आगे बताया की अभियान के अंतर्गत PMSBY और PMJJBY के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य का 50 प्रतिशत लक्ष्य दिया गया था, जिसमें झारखंड राज्य ने अब तक 30 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जो एक सराहनीय उपलब्धि है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा री-केवाईसी पर उठाए गए मुद्दे का उल्लेख करते हुए बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि री-केवाईसी बैंकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य बिंदु है, जिस पर प्राथमिकता से ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि लंबित री-केवाईसी की संख्या बहुत अधिक है और इस क्षेत्र में प्रदर्शन अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे री-केवाईसी से संबंधित लंबित मामलों के निपटान पर विशेष ध्यान केंद्रित करें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- अंत में, श्री पी.आर. राजगोपाल ने सदन को सूचित किया कि स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत 2.25 लाख रुपये है, जबकि झारखंड राज्य में यह औसत इससे कम है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि राज्य के बैंक स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण को बढ़ाकर राज्य का औसत सुधारने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में स्वयं सहायता समूहों की प्रगति अच्छी है, लेकिन प्रति खाता वित्तपोषण में सुधार की आवश्यकता है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

झ) माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार, श्री राधा कृष्ण किशोर का सम्बोधन-

- माननीय वित्त मंत्री ने एसएलबीसी बैठक में भाग लेने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि वे हमेशा बैंकरों के साथ बैठक में भाग लेने के इच्छुक रहते हैं, ताकि राज्य के विकास, गरीबी उन्मूलन में अपने अनुभव साझा कर सकें, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में बैंकों की भूमिका तथा बैंक द्वारा बनाई गई कार्ययोजना पर चर्चा कर सकें। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें बैंकरों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करना सुखद लगता है, इसलिए वे हमेशा एसएलबीसी बैठक में भाग लेने का प्रयास करते हैं।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

❖ श्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि जब हम विकास की बात करते हैं, तो दो मुख्य स्रोतों पर ध्यान दिया जाता है—एक राज्य की अपनी आय और दूसरा केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान। उन्होंने आगे कहा कि इन दो राजस्वों के माध्यम से सरकार राज्य का संचालन करती है, लेकिन इसके अलावा राज्य के समग्र विकास में बैंकरों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

❖ माननीय मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के अलावा बैंकों ने प्राथमिकता क्षेत्र, एमएसएमई, गैर-प्राथमिकता और अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों में प्रगति की है। उन्होंने आगे कहा कि बैंकों ने पिछले कुछ वर्षों में निश्चित प्रगति दिखाई है, लेकिन जिस दर से प्रगति होनी चाहिए थी, वह अभी पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने विशेष सचिव, वित्त विभाग द्वारा दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय औसत ऋण-जमा अनुपात 78 प्रतिशत है, जबकि राज्य का ऋण-जमा अनुपात 51.32 प्रतिशत है, जो पिछली तिमाही में 50.68 प्रतिशत था।

उन्होंने आगे कहा कि यदि तिमाही-दर-तिमाही यह वृद्धि इसी गति से होती रही, तो एक वित्तीय वर्ष में राज्य की वृद्धि दर 2.56 प्रतिशत होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत के अनुरूप 80 प्रतिशत तक पहुँचने में लगभग 15 वर्ष लग सकते हैं। उन्होंने बैंकों और एलडीएम से आग्रह किया कि वे जरूरतमंद लोगों को समय पर ऋण उपलब्ध कराकर राज्य के ऋण-जमा अनुपात में सुधार लाने की दिशा में सक्रिय प्रयास करें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

❖ श्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहाँ लोगों को बुनियादी न्यूनतम सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रति व्यक्ति आय की गणना राज्य की वास्तविक स्थिति को सही रूप में प्रदर्शित नहीं करती। उन्होंने बताया कि टाटा, हिंडाल्को तथा अन्य औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत लोगों की प्रति व्यक्ति आय **1.08** लाख रुपये प्रति वर्ष है, जबकि सुदूर और वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी लगभग इतनी ही है, जो उचित नहीं है।

श्री किशोर ने सदन को आगे बताया कि धनबाद जिले की प्रति व्यक्ति आय **1.68** लाख रुपये है, जबकि कोल्हान की **1.07** लाख रुपये, राज्य की राजधानी रांची की **97,000** रुपये, हजारीबाग की **96,000** रुपये, संथाल परगना की **79,000** रुपये और पलामू प्रमंडल की **58,000** रुपये है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर सबसे पिछड़ा जिला गढ़वा है, जहाँ यह राशि मात्र **38,000** रुपये है।

माननीय मंत्री ने कहा कि ये आंकड़े इसलिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं ताकि राज्य के बैंक इन वंचित क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्य कर सकें और लोगों की कम प्रति व्यक्ति आय में सुधार ला सकें। उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे लोगों के आर्थिक उत्थान की दिशा में प्रयास करें। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की 'मंईयां समान योजना' महिलाओं की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

❖ माननीय मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को छोड़कर राज्य के अन्य क्षेत्रों में प्रगति अत्यंत अच्छी रही है। उन्होंने आगे बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य की वार्षिक ऋण योजना **1,26,000** करोड़ रुपये की थी और **31** मार्च, **2025** तक **1,15,000** करोड़ रुपये की उपलब्धि प्राप्त हुई, जो **91** प्रतिशत है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए राज्य के सभी हितधारकों को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि चालू वित्तीय वर्ष में यह उपलब्धि **95** प्रतिशत से अधिक तक पहुँच जाएगी।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- श्री किशोर ने कहा कि जब हम सामाजिक क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, तो राज्य सरकार और बैंकों दोनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उस ऋण का वास्तविक प्रभाव क्या रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही हम कृषि या मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं, हमें यह भी समझना आवश्यक है कि उस ऋण के माध्यम से इन क्षेत्रों में उत्पादन और आजीविका में कितनी वृद्धि हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह जिम्मेदारी केवल राज्य सरकार की नहीं, बल्कि बैंकों की भी समान रूप से है।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं राज्य सरकार)

- माननीय मंत्री ने कहा कि राज्य की लगभग आधी आबादी महिलाएँ और वंचित वर्ग से आती है, इसलिए इन वर्गों के लिए विशेष रूप से वित्तपोषण पर ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जिन बैंकों का प्रदर्शन इन वर्गों के वित्तपोषण में कमजोर है, उनकी समीक्षा की जाए और कम प्रदर्शन के कारणों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएँ।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एसएलबीसी)

- माननीय वित्त मंत्री ने बैंकों द्वारा राज्य में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग के पास बैंकों के मुख्यालय द्वारा झारखंड राज्य के लिए सीएसआर के तहत आवंटित राशि का कोई समेकित डेटा उपलब्ध नहीं है। साथ ही, विभाग को यह भी जानकारी नहीं है कि राज्य एवं जिलों के बैंकों में कितनी सरकारी राशि जमा है।

  श्री किशोर ने कहा कि राज्य के वित्त मंत्री होने के नाते वे बैंकों द्वारा सीएसआर के अंतर्गत किए गए व्यय की समीक्षा करेंगे और विशेष सचिव को एक स्पष्ट पैरामीटर तैयार करने का सुझाव दिया। उन्होंने वित्त विभाग से अनुरोध किया कि ऐसा तंत्र विकसित किया जाए, जिससे ज़िलों के अनुसार बैंकों में जमा सरकारी राशि की जानकारी प्राप्त की जा सके।

  माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार सीएसआर के तहत धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बैंकों को सुझाव दिया कि वे अपने सीएसआर व्यय को जल संरक्षण जैसे उपयोगी क्षेत्रों में तेज़ी से बढ़ाएँ या उन क्षेत्रों में चेक डैम का निर्माण करें जहाँ आदिवासी समुदाय निवास करते हैं, ताकि समाज के वंचित वर्गों को वास्तविक लाभ मिल सके

(एक्शन- समस्त बैंक, एसएलबीसी एवं राज्य सरकार)

- माननीय मंत्री ने कहा कि सरकारी धनराशि उन्हीं बैंकों के पास रखी जानी चाहिए जिनका सामाजिक क्षेत्र तथा राज्य के आर्थिक विकास से जुड़े क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन रहा हो। सरकारी खाते भी उन्हीं बैंकों में संचालित किए जाएँ। साथ ही, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकों की उपस्थिति को भी एक मानक के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इससे बैंकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और सेवाओं का विस्तार भी सुनिश्चित होगा।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

बैठक के अंत में, एसएलबीसी के उप महाप्रबंधक श्री संतोष कुयमर सिन्हा ने एस.एल.बी.सी की 92वीं बैठक में शामिल सदस्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। सभा का संचालन श्रीमती प्राची मिश्रा,प्रबन्धक, रा. स्त. बै. स द्वारा किया गया।

(गुरु प्रसाद गोंड)
महाप्रबंधक, रा. स्त. बै. स.

92 वीं एसएलबीसी बैठक, जून 2025

12 अगस्त 2025, प्रोजेक्ट भवन धुर्वा, राँची

क्रमांक	नाम	पद	विभाग	संपर्क
1	श्री राधा कृष्ण किशोर	वित्त मंत्री	झारखंड राज्य सरकार	
2	श्रीमति शिल्पी नेहा तिर्की	कृषि मंत्री	झारखंड राज्य सरकार	
3	श्री पी आर राजगोपाल	कार्यकारी निदेशक बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय	
4	श्री संदीप सिंह, भा॰प्र॰से	विशेष सचिव	वित्त विभाग, झारखंड सरकार	
5	श्री अनन्या मित्तल, भा॰प्र॰से	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (JSLPS)	
6	श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह	क्षेत्रीय निदेशक	भारतीय रिजर्व बैंक	
7	श्री अशोक कुमार पाठक	मुख्य महाप्रबंधक	बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय	
8	श्री गौतम कुमार सिंह	मुख्य महाप्रबंधक	नाबार्ड	
9	श्री गुरु प्रसाद गौंड	महाप्रबंधक	बैंक ऑफ इंडिया, एसएलबीसी	
10	श्री आर एस भगवान	महाप्रबंधक	नाबार्ड	941016067
11	श्री संतोष कुमार सिन्हा	उप महाप्रबंधक	एसएलबीसी	
12	श्रीमती बिमला भगत	उप महाप्रबंधक	भारतीय रिज़र्व बैंक	
13	श्रीमती अनामिका शर्मा	उप महाप्रबंधक	भारतीय रिज़र्व बैंक	
14	श्री अवधेश कुमार झा	उप महाप्रबंधक	पंजाब नेशनल बैंक	7044079919
15	श्री विवेक चन्द्र जयसवाल	महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	9205459673
16	श्री मनोज कुमार	उप महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	9674710874
17	श्री ऋषि गुप्ता	उप महाप्रबंधक	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	9920613772
18	श्री सुजीत कुमार साहू	महाप्रबंधक	केनरा बैंक	7398292434
19	श्री सीएच गोपाला कृष्ण	उप महाप्रबंधक	एसएलबीसी	
20	श्री प्रदीप हजारी	विशेष सचिव	कृषि, कृषि और सहकारी बैंक	9441821911
21	श्री राजेश शरण	उप महाप्रबंधक	इंडियन बैंक	9800005483
22	श्री कृष्ण मोहन नेहरू	सहायक महाप्रबंधक	पंजाब नेशनल बैंक	9557760628
23	श्री आर सी गोयल	उप महाप्रबंधक	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	9264291876
24	श्री आलोक कुमार	उप महाप्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया	8328367992
25	श्री नीलमणि	उप महाप्रबंधक	बैंक ऑफ़ बड़ौदा	7261096555
26	श्री मनीष कुमार	उप महाप्रबंधक	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	8925952845
27	श्री व नागदेवार	वरिष्ठ प्रबंधक	इंडियन बैंक	9304886075
28	श्री अमरेन्द्र झा	एवीपी	उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक	9334616474
29	श्री विक्रम कुमार	सीडीएच	एयरटेल पेमेंट बैंक	7541049105
30	श्रीमती ज्योति कुमारी	शाखा प्रमुख	डीबीएस बैंक	7547088880
31	श्री राज कुमार कमल	क्षेत्रीय प्रमुख	इंडसइंड बैंक	9835327748
32	श्री दिलीप कुमार	प्रबंधक	झारखंड राज्य सहकारी बैंक	8084173101
33	श्री श्याम प्रकाश पाठक	प्रबंधक	झारखंड राज्य सहकारी बैंक	9801545174
34	श्री सुशील कुमार	सहायक महाप्रबंधक	राष्ट्रीय आवास बैंक	7506173514
35	श्री अमन आदित्य	सहायक प्रबंधक	राष्ट्रीय आवास बैंक	8448291940
36	श्री मंतोष यादव	वरिष्ठ मंडल प्रबंधक	आरबीएल बैंक	7683039299
37	श्री मनोरंजन कुमार	मंत्री के निजी सचिव	कृषि विभाग	8210907611
38	श्री प्रमोद कुमार	उप महाप्रबंधक	नाबार्ड	8789657697
39	सुश्री शिखा के चौधरी	क्षेत्रीय प्रबंधक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9971149208
40	श्री गीतेश झा	प्रबंधक	नाबार्ड	8587829222
41	श्री मदन मोहन बरियार	अध्यक्ष	जेआरजी बैंक	9304118032
42	श्री राजकुमार गुप्ता	महाप्रबंधक	जेआरजी बैंक	9204756198
43	श्री संजय कुमार	सहायक महाप्रबंधक	जेआरजी बैंक	8709316664
44	श्री अरविन्द एक्का	सहायक महाप्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	
45	श्री सनी	प्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	8809501850
46	श्री गौरव कुमार	प्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	
47	श्री कमलेश मंडल	सहायक महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	8002504680
48	श्री प्रशांत कुमार झा	सहायक. महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	6203221028
49	श्री गुरव कुमार	प्रबंधक	भारतीय रिज़र्व बैंक	6201473823
50	श्री मांगे राम	निदेशक	केवीआईसी	
51	श्री राजीव कुमार	सहायक निदेशक	केवीआईसी	9474059775
52	श्री संभू कुमार	उप क्षेत्रीय प्रबंधक	यूको बैंक	7004553456
53	श्रीमती प्रेमा होरो	प्रबंधक	सिडबी	7388777382
54	श्री धीरज कुमार होरो	एसपीएम-एफआई	जेएसएलपीएस	8969170434
55	श्री अनुज सहाय	सहायक महाप्रबंधक	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	9574199919
56	श्री संतोष कुमार	रजिस्ट्रार	पंजीकरण विभाग, भारत सरकार	9470130874
57	श्री तनवीर अहमद	वरिष्ठ प्रोग्रामर	राजस्व, पंजीकरण एवं भूमि सुधार	8210906235
58	श्री जे पी शर्मा	संयुक्त निदेशक	रजिस्ट्रार सहकारी समिति	9431165349
59	श्री मोहनजी लाल	सहायक निदेशक	डेयरी विकास निदेशालय	7909052127
60	श्री हरि प्रसाद बियानी	सह अध्यक्ष	जेएसआईए	8002685608
61	श्री शशि भूषण मिश्रा	एसडीआर	आरएसईटीआई झारखंड	9330752100
62	श्री अमरेन्द्र कुमार	संयुक्त निदेशक	मत्स्य पालन निदेशालय	7903048084
63	सीए महेंद्र कुमार जैन	अध्यक्ष	एफजेसीसीआई	9431170418
64	श्री विनय कुमार	मुख्य कार्यकारी कार्यालय	धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	9430145773
65	श्री शैलेन्द्र कुमार सौरभ	उप क्षेत्रीय प्रमुख कोलकाता	कर्नाटक बैंक	8861570651
66	श्री सुबोध रंजन शतपथी	मुख्य प्रबंधक	पंजाब एंड सिंध बैंक	9853536833
67	श्री सुशील कुमार	प्रबंधक	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक	7903233764

92 वीं एसएलबीसी बैठक, जून 2025

12 अगस्त 2025, प्रोजेक्ट भवन धुर्वा, राँची

क्रमांक	नाम	पद	विभाग	संपर्क
68	श्री रियाज़ अहमद	शाखा प्रबंधक	जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	9797987069
69	श्री अंगद राय	उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रबंधक	कोटक महिंद्रा बैंक	9932290705
70	श्री बिपिन बिहारी	मुख्य प्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9937019846
71	श्री पिंटू कुमार सिंह	क्लस्टर प्रमुख	ईएसएएफ एसएफबी	8714629246
72	श्री मनीष सिन्हा	वीपी एवं सीएच	यस बैंक	9934010122
73	श्री शैलेन हलदर	एवीपी	उज्जीवन लघु वित्त बैंक	7542035157
74	श्री हरिचंद मुर्मू	वरिष्ठ प्रबंधक	यूको बैंक	9792301920
75	श्री सप्तर्षि सामंत	क्षेत्रीय नोडल अधिकारी	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड	9334489624
76	श्री अभय कुमार	क्लस्टर प्रमुख	बंधन बैंक	9534130002
77	श्री फरहान जलीली	क्षेत्रीय प्रमुख	जन एसएफबी	7280073087
78	श्री उत्तम कुमार रॉय	सहायक उपाध्यक्ष	एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	8306998522
79	श्री पीयूष कुमार मोदी	मुख्य प्रबंधक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	9264291878
80	श्री अरुण वी मोहनन	प्रबंधक	द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	9048874928
81	श्री सुमन कुमार मित्रा	सहायक प्रबंधक	करूर वास्या बैंक	9732069646
82	श्री अरका भट्टाचार्य	प्रबंधक	सिटी यूनियन बैंक	8777344082
83	श्री शैलेन्द्र झा	क्षेत्रीय प्रमुख	फिनो पेमेंट बैंक	9955996520
84	श्री नितेश नारायण चौधरी	क्षेत्रीय प्रमुख एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	9162646931
85	श्रीमती बिपाशा चौधरी	वरिष्ठ उपाध्यक्ष-I	एक्सिस बैंक	9830050062
86	श्री अनिल कुमार	स्नो आरसेटी	जेएसएलपीएस	9431901016
87	श्री तुषार कांति पटनायक	राज्य प्रमुख	इंडसइंड बैंक	9937002677
88	श्री सैयद शब्बीर अख्तर	क्षेत्रीय प्रमुख	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	9771499046
89	श्री सुभाष कुमार	उपाध्यक्ष	एक्सिस बैंक	7260811600
90	अनुपस्थित		फेडरल बैंक	
91	श्री आबिद हुसैन	बोकारो	अग्रणी जिला प्रबंधक	8451978491
92	श्री आशान अहमद	चतरा	अग्रणी जिला प्रबंधक	7236935784
93	श्री अमित कुमार	धनबाद	अग्रणी जिला प्रबंधक	7667341713
94	श्री संजीव कुमार चौधरी	पूर्वी सिंहभूम	अग्रणी जिला प्रबंधक	9735825487
95	श्री अमृत चौधरी	गिरिडीह	अग्रणी जिला प्रबंधक	8210169991
96	श्री पवन कुमार	गुमला	अग्रणी जिला प्रबंधक	8828341775
97	श्री किशोर कुमार	हज़ारीबाग	अग्रणी जिला प्रबंधक	9572016960
98	श्री ऋषिकेश कुमार	खूंटी	अग्रणी जिला प्रबंधक	7717706616
99	श्री विमल कांत झा	कोडरमा	अग्रणी जिला प्रबंधक	7710967100
100	श्री नितिन कुमार	लोहरदगा	अग्रणी जिला प्रबंधक	9835234652
101	श्री दिलीप महली	रामगढ़	अग्रणी जिला प्रबंधक	7796504828
102	अनुपस्थित	रांची	अग्रणी जिला प्रबंधक	
103	श्री बरुण कुमार चौधरी	सरायकेला खरसावां	अग्रणी जिला प्रबंधक	7903255293
104	श्री सानिस मिंज	सिमडेगा	अग्रणी जिला प्रबंधक	7991140367
105	श्री दिवाकर सिन्हा	पश्चिम सिंहभूम	अग्रणी जिला प्रबंधक	8936802753
106	श्री आशुतोष कुमार सिंह	दुमका	अग्रणी जिला प्रबंधक	7979834334
107	श्री चंदन चौहान	गोड्डा	अग्रणी जिला प्रबंधक	7781919295
108	श्री संदु समद	देवघर	अग्रणी जिला प्रबंधक	9771435410
109	श्री एस के रंजन	गढ़वा	अग्रणी जिला प्रबंधक	9934363709
110	श्री बालादित्य कुमार	जामताड़ा	अग्रणी जिला प्रबंधक	9341529204
111	श्रीमती नरेन्द्र श्रीवास्तव	लातेहार	अग्रणी जिला प्रबंधक	7781011677
112	श्री राजेश मिश्रा	पाकुर	अग्रणी जिला प्रबंधक	9470230901
113	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	पलामू	अग्रणी जिला प्रबंधक	9934363710
114	श्री सुधीर कुमार	साहिबगंज	अग्रणी जिला प्रबंधक	9771438409
115	श्री रोशन चौधरी		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
116	श्रीमती प्राची मिश्रा		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
117	श्री प्रशांत कुमार		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
118	श्री कुमार ऋषव		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
119	श्री संदीप उराँव		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
120	श्री अश्विनी कुमार		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
121	श्री सुमित कुमार		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
122	सुश्री आभारानी सिंह		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
123	श्रीमती प्रेरणा प्रियंवदा		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
124	श्री शैलेश कुमार		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	